Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

40-2016/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MARCH 16, 2016 (PHALGUNA 26, 1937 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 16th March, 2016

No. 3-HLA of 2016/7.— The Contract Labour (Regulation and Abolition) Haryana Amendment Bill, 2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 3- HLA of 2016

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) HARYANA AMENDMENT BILL, 2016

A

BILL

further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Haryana Amendment Act, 2016. Short title.

2. In sub-section (4) of section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (hereinafter called the principal Act), - Amendment of section 1of Central Act 37 of 1970.

(i) in clause (a), for the word "twenty", the word "fifty" shall be substituted; and

(ii) in clause (b), for the word "twenty", the word "fifty" shall be substituted.

Amendment of section 7 of Central Act 37 of 1970.

3. In sub-section (1) of section 7 of the principal Act,-

(i) in the proviso, for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and

(ii) after the existing proviso, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided further that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, impose such further conditions, as may be deemed necessary, at the time of registration of an establishment or class of establishments for the proper administration of the Act and for prevention of misuse of employment of contract labour.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, is a Central legislation. Presently this Act applies to such establishments employing 20 or more workers as contract labour. At present flexible nature of business requires a larger option of employing workers through outsourcing and this also includes Government establishments, it is, therefore, considered necessary to raise the existing limit to 50 workers for the purpose of application of the Act so far as Haryana State is concerned. This will facilitate flexible deployment of contract labour for medium and small industries.

It has also been experienced that the contractors commonly misuse the provisions of the Act so with a view to curb the exploitation at the hands of the contractor(s), it is proposed to add proviso to sub-section (2) section 7 which may empower the Government to impose further such conditions as may be felt necessary at the time of issuing registration certificate.

CAPTAIN ABHIMANYU,
Labour & Employment Minister,
Haryana.

Chandigarh:
The 16th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 3–एच.एल.ए.

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2016

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970,

हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित

करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हरियाणा संशोधन अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है।

1970 के केन्द्रीय अधिनियम 37 की धारा 1 का संशोधन।

2. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उप–धारा (4) में,–

(i) खण्ड (क) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर, ''पचास'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) खण्ड (ख) में, ''बीस'' शब्द के स्थान पर, ''पचास'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

1970 के केन्द्रीय अधिनियम 37 की धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) में,–

(i) परन्तुक में, अन्त में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, '':'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा ; तथा

(ii) विद्यमान परन्तुक के बाद, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् :–

''परन्तु यह और कि समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के सुचारू प्रशासन के लिए तथा ठेका श्रम के नियोजन के दुरूपयोग को रोकने के लिए स्थापना या स्थापनाओं की श्रेणी पंजीकरण के समय ऐसी अतिरिक्त शर्तें अधिरोपित कर सकती है, जो आवश्यक समझी जाएं।''।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 एक केन्द्रीय अधिनियम है। वर्तमान में यह अधिनियम उन संस्थान पर लागू है जहाँ 20 या अधिक ठेका श्रमिकों का नियोजन किया गया हो। वर्तमान के लचीले व्यापार की प्रवृति में व्यापक स्वतंत्रता की आवश्यकता है जिसमें श्रमिकों का बाहय स्त्रोत के माध्यम से नियोजन किया जा सके और इसमें सरकारी संस्थान भी शामिल है तदानुसार यह आवश्यक समझा गया कि हरियाणा राज्य में अधिनियम के निष्पादन के लिये वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 50 श्रमिक कर दिया जाये। इससे मध्यम और लघु उद्योग में ठेका श्रम लगाने के लिये लचीलेपन की सुविधा होगी।

यह भी अनुभव किया गया है कि ठेकादार अधिनियम के प्रभावों का दुरूपयोग करतें है इसलिये ठेकादारों के हाथों शोषण की रोकथाम हेतू कि धारा 7 की उप धारा (2) में यह प्रावधान भी जोड़ना प्रस्तावित है जो सरकार को सशक्त करें कि पंजीकरण पत्र जारी करते समय आगामी शर्तें भी लगाई जा सके।

कैप्टन अभिमन्यु,
श्रम एवं रोजगार मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 16 मार्च, 2016.

आर० के० नांदल,
सचिव।

54151—H.V.S.—H.G.P., Chd.